

तारीख हुक्म

दावा

अ.न. - 173/2015

27.03.2025

पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय मय उभय पक्षकारान् अनुपस्थित। वकुलाय उभय पक्षकारान् को कोर्ट समाप्ति तक बार-बार आवाज दिलवाई गई। बावजूद आवाजों के भी हाजिर अदालत नहीं आये है। वास्ते खारिज होने वाले वादपत्र पत्रावली दिनांक 02.04.2025 को पेश हो।

  
( अनिल कुमार )  
उपखण्ड अधिकारी  
श्रीमाधोपुर (सीकर)  
श्रीमाधोपुर (सीकर)

02.04.2025

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् अनुपस्थित प्रकरण में कोर्ट समाप्ति तक रुक-रुक कर बार-बार आवाज दिलाई गई। बावजूद आवाजों के भी वकुलाय उभय पक्षकारान् में से कोई भी हाजिर अदालत नहीं आये है। अतः वकुलाय उभय पक्षकारान् की अनुपस्थिती में वादपत्र को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

  
( अनिल कुमार )  
उपखण्ड अधिकारी  
श्रीमाधोपुर (सीकर)  
श्रीमाधोपुर (सीकर)

